RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

# HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
# BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3001/2017

1. Smt. Vandna Jalwania W/o Late Shri Suresh Jalwania, Aged 36 Years.
2. Master Keshav S/o Late Shri Suresh Jalwania, Aged 14 Years.
3. Kumari Arati D/o Late Shri Suresh Jalwania, Aged 12 Years.
4. Gheesa Ram Jalwania S/o Shri Narayan Lal Ji, Aged 69 Years.
5. Smt. Shanti Devi Jalwania W/o Shri Gheesa Ram Ji, Aged 62 Years.
   Appellant No. 2 And 3 Are Minor Through Their Natural Guardian Mother Smt. Vandna Jalwania.
   All R/o 121 A, Adarsh Nagar, Ajmer Road, Beawar, District Ajmer (Raj.)

----Claimants-Appellants

Versus

1. Amar Singh S/o Shri Shrawan Singh Rawat, R/o Village Shahpura Tehsil Beawar District Ajmer. (Driver Of The Maruti Car No. RJ-36-CA-1613).
2. Sita Ram S/o Shri Suraj Mal Khinchi, R/o Punjabi Jeen, Dayanand Colony, Beawar District Ajmer. (Owner Of The Maruti Car No. RJ-36-CA-1613)
3. National Insurance Company Ltd., Through Branch Manager, Beawar Having Its Regional Office At LIC Building, Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur. (Insurer Of The Maruti Car No. RJ-36-CA-1613).

----Non-Claimant-Respondents

---

| | | |
|---|---|---|
| For Appellant(s) | : | Mr. Jai Prakash Gupta, Adv. |
| For Respondent(s) | : | Mr. Lokesh Parihar, Adv. |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR**

**Judgment**

**08/05/2026**

1. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील धारा–173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत **न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–2, ब्यावर** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या–349/2014 (120/2013) श्रीमती वन्दना जलवानियां व अन्य बनाम श्री अमर सिंह व अन्य** में पारित **निर्णय दिनांक 06.03.2017** (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में **सुरेश जलवानियां** की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप **कुल 68,05,000/– रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण को कुल **12,25,000/– रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि **मय ब्याज 09 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की आय 5,000/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि वक्त घटना मृतक वकालत का कार्य कर प्रतिमाह 15,000/– रुपये की आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के माता–पिता को मृतक पर आश्रित नहीं मानकर मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/4 भाग के स्थान पर 1/3 भाग की कटौती कर त्रुटि कारित की गयी है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की

ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी। अपने तर्को के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय का ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया गया :—

- **Madhu Lamror & Ors. Vs. Jasraj & Anr. S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 983/2019**, decided on 09.09.2024.
- **Nur Ahamad Abdulsab Kanavi Vs. Abdul Munaf & Ors.** reported in **2025 SCC Online SC 284. &**
- **Sebati Nath & Ors. Vs. Shriram General Insurance Company Ltd. (Arising Out of SLP (C) No. 26253/2025)** decided on 12.11.2025.

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित आय पर 40 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जिसे संशोधित किया जावे तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. बहस सुनी गयी। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 10.10.2012 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक को वकालत का कार्य कर प्रतिमाह 15,000/— रूपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है। किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से कोई ठोस साक्ष्य विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए वक्त घटना मृतक की मासिक आय 5,000/— रुपये निर्धारित की गयी है। वक्त घटना मृतक को अधिवक्ता होना बताया गया है तथा मृतक की पत्नी श्रीमती वन्दना स्वयं गवाह ए.डब्ल्यू—1 के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुई है, जिसने अपने बयान में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसका पति वकालत का कार्य कर 15,000/— रुपये मासिक आय अर्जित करता था। ऐसी स्थिति में हम, **Nur Ahamad Abdulsab Kanavi (supra)** व **Sebati Nath & Ors. (supra)** के

मामलों पारित मत का अवलंब लेते हुए वक्त घटना मृतक के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उसकी मासिक आय 10,000/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। वक्त घटना मृतक को 39 वर्ष आयु का होना बताया गया है। ऐसे में मृतक की निर्धारित मासिक आय पर 40 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि किया जाना अपेक्षित था, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित आय पर 50 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि की जाकर त्रुटि कारित की गयी है। चूंकि मृतक 39 वर्ष आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की निर्धारित मासिक आय 10,000/– रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत अर्थात् 4,000/– रुपये की बढ़ोतरी की जाकर मृतक की कुल मासिक आय 14,000/– रुपये निर्धारित की जाती हैं, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

7. वक्त घटना मृतक पर कुल 05 आश्रित बताए गये हैं, जिनमें अपीलार्थी संख्या–1 मृतक की पत्नी, अपीलार्थी संख्या–2 व 3 मृतक के पुत्र–पुत्री तथा अपीलार्थी संख्या–4 व 5 मृतक के पिता व माता है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के माता–पिता को मृतक पर आश्रित नहीं मानते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/3 भाग की कटौती की गयी है, जबकि मृतक के माता–पिता भी वक्त घटना मृतक पर आश्रित थे। ऐसी स्थिति में हम, वक्त घटना मृतक पर आश्रितों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/4 भाग की कटौती किया जाना उचित समझते हैं। तद्नुसार 14,000/– रुपये का 1/4 भाग 3,500/– रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 10,500/– रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 39 वर्ष निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा (उपरोक्त)** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 15 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार मृतक

की निर्धारित आय 10,500/– रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की **कुल क्षति 10,500 x 12 x 15 = 18,90,000/– रुपये** होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

8. विद्वान अधिकरण द्वारा समस्त अपीलार्थीगण को 3,00,000/– रुपये की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है, जो अधिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/– रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

9. मामले की घटना वर्ष 2012 की बताई गयी है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या–1 को ''स्पाउस कंसोर्टियम'' की मद में 40,000/– रुपये, मृतक के बच्चों अपीलार्थी संख्या–2 व 3 प्रत्येक को ''पैरेण्टल कंसोर्टियम'' की मद में 40,000/– रुपये तथा मृतक के पिता व माता अपीलार्थी संख्या–4 व 5 प्रत्येक को ''फिलियल कंसोर्टियम'' की मद में 40,000/– रुपये (कुल 2,00,000/– रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 25,000/– रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो अधिक है। अतः उपरोक्त मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार

15,000/– रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा सम्पदा की हानि के मद में पृथक से कोई राशि अपीलार्थीगण को नहीं दिलवाई गयी है। अतः उपरोक्त मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 15,000/– रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :–

| **क्रम सं.** | **शीर्ष/मद** | **इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रूपये में)** |
|---|---|---|
| 1. | आश्रित आय की क्षति के मद में | 18,90,000/– |
| 2. | कंसोर्टियम के मद में | कुल 2,00,000/– |
| 3. | अंतिम संस्कार के मद में | 15,000/– |
| 4. | सम्पदा की हानि के मद में | 15,000/– |
| **इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि** | | **21,20,000/–** |
| विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (–) | | 12,25,000/– |
| **बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर** | | **8,95,000/–** |

13. तदनुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **12,25,000/– रूपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **21,20,000/– रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

14. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में निर्धारित की गयी क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलवाया गया है। अतः इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर भी याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

15. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित विद्वान अधिकरण को अविलम्ब लौटाया जावे।

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

16. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

17. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

**(ASHUTOSH KUMAR),J**

LOKESH RAJ /79-S